[ISSN : 2348-2605]

अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका

(त्रैमासिक हिन्दी
एवं
सामाजिक विज्ञान
पत्रिका)

www.gejournal.net

E-mail: hindires@gmail.com

अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान
शोध पत्रिका
(त्रैमासिक हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान पत्रिका)

असहयोग आन्दोलन की सफलता मेंस्वदेशी की भूमिका

डॉ. बीना माथुर (एसो.प्रोफ़ेसर)
ए. के .पी .(पी.जी .)कॉलेज
ख़ुर्जा (बुलन्दशहर)

1905 मे बंगाल विभाजन के कारण भारतीय आन्दोलन में एक विराट परिवर्तन आरम्भ हुआ ।उसके कई कारण थे। 19वीं शताब्दी में समाज सुधार आन्दोलनों ने भारतीयों को उनकी प्राचीन परम्पराओं से अवगत कराया। स्वदेशी अर्थात अपने देशमे निर्मित वस्तु अथवा साधन । भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में विशेषकर गांधी जी द्वारा आरंभ किये गये असहयोग आन्दोलन को गति प्रदान करने में स्वदेशी की विशेष और महत्वपूर्ण भूमिका रही है।1857 ई. के गदर के बाद से ही सम्पूर्ण देश मे राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ ।पूना के लोकहितवादी गोपाल राव देश मुख ने1840 से 1850 के दौरान ग्रामीण उद्योगों की रक्षा हेतु विदेशी वस्तुओं का त्याग करके स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर बल दिया और उसका खूब प्रचार भी किया ।

सन् 1870 से 1880 के दशक में महादेव गोविन्द रानाडे ने अपने भाषणों और लेखों से स्वदेशी का प्रचार किया। काका गणेश वासुदेव जोशी ने स्वदेशी वस्तुओं को बेचने के लिए दुकान भी खोली थी। उन्होंने लोगो को स्वदेशी अपनाने हेतु व्रत दिलवाया। सन् 1877 के दिल्ली दरबार में सार्वजनिक सभा ने उन्हें अपना प्रतिनिधि बना कर भेजा था। जहां खादी वस्त्र धारण करने के कारण वह आकर्षण का केन्द्र बने । उन्होंने वहाँ एक मान-पत्र पढ़ा था और महारानी से आग्रह किया था कि भारतीयों को भी वही राजनीतिक और सामाजिक दर्जा प्रदान करें जो अंग्रेजों को प्राप्त था। गोपाल नारायण देशपांडे घर-घर जाकर लोगों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। सन् 1876 में अहमदाबाद मे अम्बालाल शंकरलाल, प्रेम भाई हिमभाई, मणिभाई जसभाई, रणछोड़ लाल छोटालाल आदि ने स्वदेशी उध्यम वर्धक मंडल की स्थापना की थी।राजनीतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति स्वामी दयानन्द सरस्वती का मुख्य उद्देश्य था। वह पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने 'स्वराज्य'शब्द का प्रयोग किया था और अपने देशवासियों को विदेशी माल के प्रयोग के स्थान पर स्वदेशी माल के प्रयोग की प्रेरणा दी।[1]

दूसरी ओर रेलवे और डाक-तार का निर्माण हो चुका था, जो जन साधारण को एक-दूसरे से जोड़ रहा था। पुरातत्व विभाग की स्थापना के कारण गौरवशाली भारतीय अतीत की खोज हो रही थी। जो लोगों में भारत की प्राचीन सभ्यता और उत्तम संस्कृति का संचार कर रहा था। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार से लोगों में स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व के भाव मजबूत हो रहे थे। बंगला, उर्दू, हिन्दी, उड़ीसा, मराठी, पंजाबी आदि क्षेत्रीय साहित्य सृजन हो रहा था। कथा, नाटक, कविता, निबन्ध आदि के माध्यम से जन-मानस में राष्ट्रीय प्रेम और भ्रातृत्व भाव का प्रचार-प्रसार कर रही थी।[2]भारतीय व्यापार और उद्योग नष्ट हो रहे थे। पश्चिम से निर्मित नई और सस्ती वस्तुओं का आयात होने लगा। महीन ऊन, रेशम एवं सूत के सामानों का शिल्प, कांसे के बने सामानों का शिल्प नष्ट हो रहा था।[3]
1909 ई0 के अधिनियम द्वारा प्रान्तीय सभाओं में सदस्यों का निर्वाचन साम्प्रदायिक आधार पर किया गया। साम्प्रदायिक चुनाव पद्धति ने विभिन्न समुदायों में भेद उत्पन्न कर दिया और उनके हितों का मेल असम्भव बना दिया।[4] 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस पहले ही दो भागों में बंट गयी थी, नरमपंथी तथा गरमपंथी। ए0बी0 कीथ के अनुसार 1909 का अधिनियम उग्रवादियों की मांगों को सन्तुष्ट नहीं कर सकता था।[5]1908-09 के दौरान स्वदेशी आन्दोलन अपने चरम पर था और कट्टरपंथी देशभक्तों के हाथों में था । 1911 ई. में बगाल विभाजन संबन्धी बिल को वापस लिए जाने पर स्वदेशी आनेदोलन शिथिल पड़ गया । 1914ई0 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने युद्ध समाप्ति के बाद भारतीयों को स्व-शासन प्रदान करने का वचन दिया था। 1909 के अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए 1919 का अधिनियम पारित किया गया। भारत में पहले से ही सरकारी नीतियों के कारण सम्पूर्ण भारत के जनमानस में असन्तोष और क्षोभ की भावनाएँ बलवति हो रही थी। गरीबी, बीमारी, नौकरशाही का दमन-चक्र, अध्यादेश-राज और युद्धकाल में धन एकत्र करने तथा सिपाहियों की भर्ती के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई कठोरता की नीति के कारण भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति रोष पनप रहा था।

स्थिति विस्फोटक न हो जाए इसी कारण 1919 में सर सिडनी रौलट द्वारा नया अधिनियम लाया गया, जिसमें अपील, वकील, दलील की व्यवस्था का अन्त कर दिया।[6] भारतीयों ने इसे काले कानून का नाम दिया। लगभग सभी दल के नेताओं ने इस कानून का विरोध किया। सरकार की दमन नीति और रौलट एक्ट ने गांधी जी को राजभक्त से विद्रोही बना दिया।[7]एन. श्रीनिवास के अनुसार यह नौरकशाही शासन की पद्धति का प्रथम उल्लंघन और प्रतिनिध्यात्मक शासन का वास्तविक प्रारंभ था ।[8]

9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे देश भर में अंग्रेजों के विरूद्ध भयंकर आक्रोश पनप उठा। इसी आक्रोश के डर से गांधी जी को बम्बई लाकर छोड़ दिया गया। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी वाले दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हृदय दहला देने वाली घटना घटित हुई। जहाँ अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने शान्तिपूर्ण ढंग से सभा कर रहे निहत्थे लोगों पर अन्धाधुन्ध गोलियां चलवा दीं, इसमें असंख्य पुरूष, महिलाएँ, बच्चे मारे गए।[9] जलियावाला काण्ड ने राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को झकझोर कर रख दिया। इसने राष्ट्रीय आन्दोलन की दिशा बदल दी।

दीनबन्धु, सी0एफ0 एन्डूज ने इसे-जानबूझकर कर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा दी है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के एक सदस्य ने कहा था कि ऐसी बर्बरता की मिसाल संसार में कहीं भी मिलना कठिन है। थॉमस और गेरेट ने लिखा है-''अमृतसर दुर्घटना भारत व इंग्लैण्ड के सम्बन्धों में युगान्तकारी घटना थी,लगभग वैसी महत्वपूर्ण जैसा 1857ई0 का विद्रोह।[10] जलियावाला काण्ड की जांच समिति ने जनरल डायर को जब 200 पौंड की धनराशि तथा सम्मानार्थ एक तलवार भेंट की तो गांधी जी के साथ-साथ समस्त भारतीयों का अंग्रेजों की न्यायप्रियता के विश्वास उठ गया। सितम्बर 1920 में लाला लाजपतराय की अध्यक्षता में एक अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया गया। इस अधिवेशन में प्रथम बार कांग्रेस भारत में अंग्रेजी राज के विरूद्ध सीधी कार्यवाही के लिए तैयार हुई। प्रस्ताव में कहा गया कि राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करने और जलियावाला काण्ड जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने का एक मात्र साधन स्वराज की स्थापना है और भारतवासियों के लिए इसके सिवाय अब और कोई भी रास्ता नहीं बचा है कि वे विदेशी शासकों के प्रति गांधी जी द्वारा प्रारम्भ की गई अहिंसात्मक असहयोग की नीति का अधिकाधिक सहारा लें।[11] सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने लिखा है कि-''जलियावाला बाग ने देश में आग लगा दी।[12] रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना खिताब लौटाकर ब्रिटिश सरकार के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया और वायसराय को लिखा सरकार ने किसी भी समय इतिहास से आज तक ऐसे अत्याचार नहीं किए। इस घटना के बाद से ही भारतीयों में अंग्रेजों से बदला लेने की भावना प्रबल हो उठी थी। यदि युवाओं के बल, बुद्धि और विवेक को असहयोग आन्दोलन का मार्ग नहीं मिलता, तो समाज में चारों ओर अराजकता, अत्याचार का वीभत्स दृश्य होता।

असहयोग आन्दोलन की भूमिका तैयार हो रही थी। असहयोग आन्दोलन रौलट एक्ट के विरोध में किया जाने वाला जन-आन्दोलन था।[13] इसमें जलियांवाला बाग घटना ने आग में घी का काम किया। इससे पूर्व 1917 ई0 में रूस की क्रान्ति हुई, उसका भी समग्र रूप से प्रभाव जन मानस पर पड़ा। 28 जुलाई को गांधी जी ने घोषणा कर दी कि 1 अगस्त 1920 से असहयोग आन्दोलन उपवास और प्रार्थना के साथ प्रारम्भ किया जायेगा। असहयोग के चार चरण निर्धारित किए गए-(1) खिताबों और सम्मानार्थ पदों का त्याग करना, (2) सरकारी सिविल सेवाओं के पदों से इस्तीफा देना, (3) पुलिस और सेना की सेवा से त्यागपत्र देना तथा (4) टैक्स देने से मना करना। 1 अगस्त से पूर्व ही बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। गांधी जी ने कहा-मेरा प्रबल सहारा मुझसे छूट गया। वह जो मनुष्यों का सिरमौर था, नहीं रहा।[14] 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने वायसराय चेम्सफोर्ड को लिखा-सम्राट की सरकार ने खिलाफत के मामले में कपट, अनैतिकता, और अन्यायपूर्ण काम किया है .... ऐसी सरकार के लिए मेरे मन में न आदर रह सकता है, न सद्भाव। गांधी जी ने पत्र के साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए पदक लौटा दिये।

आन्दोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के लिए 4 सितम्बर 1920 को कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। 1 दिसम्बर 1920 के नागपुर कांग्रेस में 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सर्व सम्मति से असहयोग प्रस्ताव की पुष्टि कर दी। नागपुर अधिवेशन का प्रमुख लक्ष्य शान्तिपूर्ण तरीके से स्वराज्य प्राप्त करना था। इसमें

कांग्रेस ने नया संविधान स्वीकार किया। सरकार के दमन नीति की निन्दा की गयी। गांधी जी के विश्वासी कार्यकर्ता सम्पूर्ण देश में फैल गये। आन्दोलन में शामिल सभी लोगों ने सरकार के साथ प्रत्येक क्षेत्र में असहयोग की नीति का अनुपालन किया। घर-घर स्वदेशी का प्रचार हुआ और चरखा चलने लगा। विदेशी माल का बहिष्कार किया गया। बंगाल, बम्बई संयुक्त प्रान्त तथा मद्रास में बहिष्कार का व्यापक असर हुआ। शराब की दुकानों पर महिलाओं द्वारा धरने दिये गए। हिन्दू-मुस्लिम एकता अपनी पराकाष्ठा पर थी। वर्ष 1921-22 में कई प्रान्तों की आबकारी रिपोर्ट में जबरदस्त घाटा दिखाया गया है।

17 नवम्बर 1921 को वेल्स के राजकुमार भारत यात्रा पर आये तो भारतीयों ने उनका स्वागत विरोध-प्रदर्शन से किया। बम्बई में बेकाबू हुए प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 30 व्यक्ति मारे गए और 200 घायल हुए। केरल में मोपला लोगों ने विद्रोह किया। नेपाल, बर्मा और गढ़वाल से सरकारी फौजों को बुलाकर इस विद्रोह का दमन किया गया। 2,226 लोग मारे गए, 1,615 घायल हुए और 5,688 को कैद कर लिया गया, 38,256 लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया।[15]

मद्रास में मुहम्मद अली को, बम्बई से शौकत अली को गिरफ्तार कर लिया गया। दिसम्बर 1921 तक, मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास और उनकी पत्नी बासन्ती देवी, लाला लाजपत राय, डॉ0 किचलू आदि को कैद कर लिया गया। लगभग 20,000 भारतीयों को कैद कर लिया गया। यह संख्या 1922 में बड़कर 30,000 हो गयी।[16] इतिहास का वह मंजर जहाँ निहत्थे सत्याग्रही हथियारबन्द ब्रिटिशों पर भारी पड़ रहे थे। जहाँ गांधी जी को छोड़कर सभी बड़े नेताओं को कैद कर लिया गया था। सरकार समझौते का प्रयास कर रही थी। इसी बीच गोरखपुर जिले के एक छोटे से कस्बे चौरी चौरा में 5 फरवरी 1922 को एक अप्रिय घटना घटी जहाँ उत्तेजित भीड़, ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें लगभग 22 पुलिस वाले जल कर राख हो गए। ऐसी ही कुछ घटनाएँ बम्बई और मालाबार में भी हुई। आन्दोलन को हिंसक होते देख गांधी जी ने देशव्यापी भव्य आन्दोलन को अचानक बीच में ही रोकने का निर्णय ले लिया। गांधी जी को दिए गए वचन के अनुरूप बहुत से क्रान्तिकारी असहयोग आन्दोलन मे कूद पड़े, कई इस बीच उसे केवल दूर से देखते रहे ... बहुत से असहयोगी जैसे चंद्रशेखर आज़ाद ,विष्णुशरण दुबलिस, रामदुलारे त्रिवेदी, बजरंगबली गुप्त, 1921 के असहयोग में शामिल थे परन्तु ये चौरी-चौरा काण्ड के कारण निराश होकर क्रान्तिकारी बने ।[17]

12 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गांधी जी ने हर प्रकार के आन्दोलन को बन्द कर दिया। एक बड़े जन आन्दोलन को अचानक बीच मे स्थगित करने के घातक परिणाम निकले । देश की संपूर्ण युवा शक्ति एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलकर संघर्ष कर रही थी। आन्दोलन को अचानक स्थगित करने से वह लक्ष्य विहीन हो गई। कांग्रेस के बड़े नेता चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी को जेल से पत्र लिखा, जिसका गांधी जी ने कठोर उत्तर दिया कि कैदी, नागरिक दृष्टि से मृत होते हैं।[18] उन्हें नीति के निर्धारण में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। आन्दोलन बन्द होने के बाद कांग्रेस दो भागों में बंट गयी। बहुसंख्यक मुसलमानों ने गांधी जी का साथ छोड़ दिया। अनन्त उत्साह के साथ आन्दोलन में भाग लेने वाले युवाजन बिखर गए और छोटे-छोटे सशस्त्र क्रान्तिकारी दलों मे तब्दील हो गये।

असहयोग आन्दोलन भारतीय इतिहास का प्रथम अहिंसात्मक जन-आन्दोलन था, जिसका प्रमुख शस्त्र स्वदेशी को आत्मसात करना था ।स्वदेशी आन्दोलन ने ही असहयोग आन्दोलन को बल प्रदान किया । स्वदेशी के प्रचार ने देशभक्ति की भावना को अभिव्यक्ति प्रदान की और राष्ट्रीय स्वाधीनता की सुसुप्त चेतना को जागृत करने मे अहम भूमिका निभाई।स्वदेशी के प्रभाव मे ही न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रशासन , ब्रिटिश कारखानों में बनी सामग्री , अंग्रेजी शिक्षा ,ब्रिटिश शासन द्वारा प्रदत्त समस्त वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी के प्रचार से यह जन-आन्दोलन स्वशासन से स्वराज्य के लिए संघर्ष में परिवर्तित हो गया । इसका व्यापक प्रभाव अंग्रेजी हुकुमत पर पड़ा। किसान मजदूर और मध्यम वर्ग के लोगों के शामिल होने से यह विशाल जन-आन्दोलन बन गया । स्वदेशी आन्दोलन के प्रभाव में ही क्रान्तिकारियों ने पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य को प्राप्त करने की घोषणा कर दी ।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1.डॉ0 आर0सी0 मजूमदार - हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इण्डिया, भाग-1, पृष्ठ-287

2.मजूमदार रामचौधरी तथा दत्त - भारत का बृहत इतिहास - मैकमिलन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, बम्बई, 1971, पृष्ठ-328 ।

3.वही, पृष्ठ-328 ।

4.पी0ई0 रॉबर्ट्स - हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इण्डिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, भारत 1952, पृष्ठ-572 ।

5.ए0बी0 कीथ - अ कंसटीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया (1600-1935) लन्दन 1936 ।

6.पी0सी0 बैमफोर्ड- हिस्ट्री ऑफ द नान कोआपरेशन एण्ड खिलाफत मूवमेन्ट्स, पृष्ठ सं0-10

7.डॉ0 सुभाष कश्यप - आधुनिक भारत (संविधानिक विकास और स्वाधीनता संघर्ष) रिसर्च पब्लिकेशन्स इन सोशल साइन्सेस, नई दिल्ली 1977, पृष्ठ सं0-96 ।

8. एन. श्रीनिवास –डेमोक्रेटिक गवर्नमेन्ट इन इंडिया, द वल्ड प्रैस लिमिटेड कलकत्ता 1954,पृ.सं.41

9.डॉ0 सुभाष कश्यप - आधुनिक भारत (संविधानिक विकास और स्वाधीनता संघर्ष) रिसर्च पब्लिकेशन्स इन सोशल साइन्सेस, नई दिल्ली 1977, पृष्ठ सं0-96-97 ।

10.थॉमस एण्ड गेरेट - राइज एण्ड फुलफिलमेन्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इण्डिया, पृष्ठ सं0-610

11.पट्टाभि सीतारमैया - द हिस्ट्री ऑफ इण्डियन नेशनल कांग्रेस, 1935, जिल्द-1, पृष्ठ सं0-180-203 ।

12.सुरेन्द्रनाथ बनर्जी - ए नेशन इन मेकिंग, पृष्ठ-304 ।

13.रजनी पामदत्त - आज का भारत, नेहा पब्लिकेशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स 2013, पृष्ठ सं0-346 ।

14.डी0जी0 तेन्दुलकर - महात्मा, प्रथम खण्ड, पृष्ठ-370-71 ।

15.डॉ0 धनपति पाण्डेय - आधुनिक भारत का इतिहास, खण्ड-।।, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, पृष्ठ सं0-298 ।

16.वही, पृष्ठ-299 ।

17. मन्मथनाथ गुप्त –क्रान्तिकारी आन्दोलन का वैचारिक इतिहास पृ.सं. 106-107

18.डॉ0 धनपति पाण्डेय - आधुनिक भारत का इतिहास, खण्ड-।।, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, पृष्ठ-300 ।